भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2644

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय:कृषि योग्य भूमि का विपथन

2644. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

श्री खगेन मुर्मुः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उद्योगों, आवास और विद्युतपरियोजनाओं जैसे गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु कृषियोग्य भूमि के विपथन के कारण कृषि उत्पाद परप्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथागत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि योग्यभूमिक्षेत्र में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी कमी आईहै;

(ग) क्या भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मेंतीव्र गिरावट आई है तथा देशभर में कईकिसान/लोग भूमिहीन हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथाइसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि भूमि का गैर-कृषिप्रयोजनों हेतु उपयोग को नियंत्रित करने और देशमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में वृद्धि के लिए क्यासुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचारहै?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) तथा (ख):जी नहीं। तकनीकीय प्रगति तथा सरकार की विभिन्न पहलों के कारण, खाद्यान्नों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी जा रही है। 2015-16 से 2018-19 तक खाद्यान्नों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

वर्ष	खाद्यान्न (मिनियन टन)	बागवानी फसलें (मिलियन टन)
2015-16	251.54	286.19
2016-17	275.11	300.64
2017-18	285.01	311.70
2018-19	283.37*	314.87**

*खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

** बागवानी फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

2014-15 के लिए भू-उपयोग सांख्यिकी पर प्रकाशन के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध), 2012-13 से 2014-15 तक देश में कृषि योग्य/खेती योग्य भूमि के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ): 1970-71, 1976-77, 1980-81, 1985-86, 1990-91, 1995-96, 2000-01,2005-06, 2010-11 तथा 2015-16 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित पंचवर्षीय कृषि गणनाओं के अनुसार, देश में प्रचालनात्मक जोतों के औसत आकार की संख्या क्रमश: 2.28, 2.00, 1.84,1.69, 1.55, 1.41, 1.33, 1.23, 1.15तथा 1.08 हेक्टेयर थी, जो यह दर्शाता है कि प्रचालनात्मक जोतों के औसत आकार में 1970-71 की तुलना में 2015-16 में 50 प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट आई है। प्रचालनात्मक जोतों के औसत आकार में गिरावट मुख्यत: बढ़ती आबादी एवं भूमि जोतों के विखंडन की वजह से है।

कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध), देश में प्रचालनात्मक भू-धारकों (सीमांत एवं छोटे) की संख्या 86.2 प्रतिशत है तथा यह प्रचालनात्मक जोतों के तहत 47.3 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है।

(ङ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। अत:, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के संबंध में उचित उपाय करें। तथापि, भारत सरकार समुचित नीति उपायों एवं बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है।

देश में खेती योग्य क्षेत्र में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषक नीति- 2007 (एनपीएफ-2007) के तहत राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण क्रियाकलापों सहित गैर-कृषि विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए अकृष्य भूमि, क्षारीय भूमि, अम्लीय भूमि जैसी कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को चिन्हित करें। राष्ट्रीय पुनर्वास और बंदोबस्त नीति-2007 (एनआरआरपी - 2007) में यह भी सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो, परियोजनाएं बेकारभूमि, गैर उन्नत भूमि या असिंचित भूमि पर लगाई जाएं। गैर-कृषि उपयोगों के लिए सिंचित, बहु-फसली कृषि भूमि का कम-से-कम अधिग्रहण किया जाए और, जहां तक संभव हो, इसे टाला जाए। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्षा सिंचित एवं गैर-उन्नत क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से, आईडब्ल्यूएमपी का विलय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक में कर दिया गया है।

अनुबंध-।

दिनांक 09.07.2019 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्नसंख्या 2644 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2012-13 से 2014-15 तक देश में खेती योग्य भूमि/कृषि योग्य भूमि के राज्य-वार ब्यौरे (नवीनतम उपलब्ध)

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
आंध्रप्रदेश	15930	8879	9047
अरूणाचलप्रदेश	424	424	423
असम	3356	3357	3364
बिहार	6582	6578	6579
छत्तीसगढ़	5552	5550	5558
गोवा	197	197	197
गुजरात	12661	12661	12661
हरियाणा	3664	3645	3656
हिमाचलप्रदेश	812	812	812
जम्मू औरकश्मीर	1070	1070	1075
झारखंड	4336	4343	4343
कर्नाटक	12846	12840	12827
केरल	2280	2279	2266
मध्यप्रदेश	17264	17267	17252
महाराष्ट्र	21129	21127	21099
मणिपुर	316	384	390
मेघालय	1056	1056	1056
मिजोरम	408	402	367
नागालैंड	694	693	694
ओडिशा	6743	6797	6784
पंजाब	4286	4219	4285
राजस्थान	25548	25542	25511
सिक्किम	97	97	97
तमिलनाडु	8126	8120	8112
तेलंगाना		6929	6877
त्रिपुरा	274	273	272
उत्तराखंड	1547	1550	1549
उत्तरप्रदेश	19075	18955	18939
पश्चिम बंगाल	5673	5662	5655
अंडमान एवंनिकोबार द्वीप समूह	28	28	28
चंडीगढ़	1	1	1
दादरा एवं नगरहवेली	24	24	24
दमन और दीव	3	3	3
दिल्ली	53	53	53
लक्षद्वीप	2	2	2
पुदुचैरी	30	30	29
अखिल भारत	**182085**	**181850**	**181886**

स्रोत:अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवंकिसान कल्याण विभाग

*****